

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आईटी० अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: १५ जनवरी, 2014

कार्यालय आदेश

शासकीय कार्यों में कार्य कुशलता की वृद्धि के साथ करापवंचन आदि महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रेषण, कार्यों का त्वरित एवं समय से निस्तारण, व्यापारिक गतिविधियों के सम्बन्ध में विभागीय सर्वर से SMS द्वारा विवरणों की पुष्टि करने एवं किसी आकस्मिकता के समय अधिकारियों के मध्य आपसी सामजस्य बनाये रखने हेतु प्रायः उच्चाधिकारियों एवं क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों से वार्ता करने की आवश्यकता एवं त्वरित गति से सूचनाओं का प्रेषण किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये वाणिज्य कर विभाग में तैनात अधिकारियों को भारत संचार निगम लिं (BSNL) की तरंग योजना के अन्तर्गत मोबाइल सिम, लैण्ड लाइन टेलीफोन, ब्राडबैण्ड तथा डाटा कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-क०नि०४-१५२७/११-१३-३००(१)/२०१२ दिनांक १६ दिसम्बर, २०१३ द्वारा प्रदान की गयी है। इसके अन्तर्गत अनुमन्य प्रदान की गयी सीमा तथा प्रभार आदि का विवरण संलग्न तालिका में अकित है।

इस योजना के अन्तर्गत एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-१ से लेकर वाणिज्य कर अधिकारी तक के समस्त विभागीय अधिकारियों को प्रीपैड मोबाइल सिम की सुविधा अनुमन्य होगी। समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-१, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-२ तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर को लैण्डलाइन फोन की सुविधा होगी। ब्राडबैण्ड सुविधा समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-१, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-२ (अपील) तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) / (टैक्स आडिट) / (कारपोरेट सेक्टर) को अनुमन्य होगी। डाटा कार्ड की सुविधा समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-१, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-२ (वि० अनु०शा०) / उच्च न्यायालय कार्य लखनऊ तथा समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०) को अनुमन्य होगी। डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन) को लैडलाइन फोन, ब्राडबैण्ड तथा डाटा कार्ड की भी सुविधा होगी। डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली), उप निदेशक (प्रशिक्षण)/प्रशिक्षण पटल आदि, डिप्टी कमिश्नर(सर्वोच्च न्यायालय कार्य) तथा डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्यायालय कार्य लखनऊ एवं इलाहाबाद) को लैण्डलाइन फोन की सुविधा अनुमन्य होगी।

प्रीपैड मोबाइल सिम, लैण्डलाइन फोन, ब्राडबैण्ड तथा डाटा कार्ड के अन्तर्गत अनुमन्य usage तथा देय शुल्क आदि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

क- प्रीपैड मोबाइल सिम

प्रीपैड मोबाइल सिम में प्रतिमाह चार सौ मिनट निःशुल्क usage प्राप्त होगा। BSNL से BSNL के उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी तथा NCR सर्किल में निःशुल्क बात की जा सकेगी जबकि इन सर्किलों में BSNL से भिन्न नेटवर्क पर लोकल बात करने हेतु रुपया 0.01 प्रति सैकेन्ड तथा STD बात करने पर रुपया 0.12 प्रति सैकेन्ड की दर से शुल्क देय होगा। इस सुविधा के समस्त नियम एवं शर्तें अनुलग्नक तालिका में उल्लिखित हैं।

ख- लैडलाइन फोन

लैडलाइन फोन पर प्रतिमाह 300 MCU (Metered Call Unit) निःशुल्क usage प्राप्त होगा। BSNL से BSNL के उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी तथा NCR सर्किल में बात करना निःशुल्क होगा। BSNL के उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी तथा NCR सर्किल के अतिरिक्त अन्य सर्किल तथा BSNL से भिन्न किसी नेटवर्क पर बात करने पर 1.00 रु प्रति MCU की दर से शुल्क देय होगा। लैण्डलाइन फोन के सम्बन्ध में आने वाले व्यय भार का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा।

ग- ब्राडबैण्ड

ब्राडबैण्ड पर प्रतिमाह असीमित निःशुल्क usage प्राप्त होगा।

घ- डाटा कार्ड

डाटा कार्ड पर प्रतिमाह पाँच GB निःशुल्क usage प्राप्त होगा। इस सीमा से अधिक प्रयोग होने पर रुपया 0.05 प्रति 10KB की दर से शुल्क देय होगा। अनुमन्य सीमा से अधिक उपयोग होने पर अथवा अन्य स्थिति में

किसी प्रकार के आये व्यय का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा और इस प्रकार के किसी भी व्यय के भुगतान का दायित्व विभाग का नहीं होगा।

2- तरंग योजना का सुधार संचालन हेतु एडीशनल कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर, उप्र० नोडल अधिकारी होंगे तथा उनके निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में फील्ड स्तर पर डिस्ट्री कमिशनर / असिस्टेन्ट कमिशनर (प्रशासन) इस योजना के संचालन हेतु अधिकृत प्राधिकारी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नलिखित होंगे :-

- (1) इस योजना के अन्तर्गत अधिकारियों को विभाग द्वारा केवल प्रीपेड मोबाइल सिम ही उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) उक्त मोबाइल सिम का प्रयोग शासकीय कार्यों के लिये किया जायेगा और सम्बन्धित अधिकारी को तालिका में अंकित सीमा तक आउट गोइंग काल्स भी अनुमन्य होगी।
- (3) तालिका में अंकित अनुमन्य सीमा से अधिक / व्यक्तिगत कार्यों के लिये निजी व्यय पर रिचार्ज कराकर उक्त मोबाइल सिम का उपयोग करने के लिये अधिकारी स्वतंत्र होंगे।
- (4) उक्त मोबाइल सिम धारक अधिकारी अपने मोबाइल सेट को सदैव खुला रखेंगे ताकि शासकीय कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो तथा किसी भी आकस्मिक आवश्यकता के समय सम्बन्धित अधिकारी से तत्काल सम्पर्क हो सके। यदि मोबाइल बन्ड होने या अन्य कारणों से आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क सम्भव नहीं हो पाता है तो उनके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2273/20-8-वि०-12-टी-26(64)/09 दिनांक 02 जुलाई 2012 द्वारा निर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के आदेश भी प्रभावी होंगे जिसमें CUG (Closed User Group) मोबाइल 24 घण्टे सतत खुले रखने और किसी भी दशा में ऑफ न किये जाने, मोबाइल पर आने वाली प्रत्येक काल को तत्काल रिसीव किये जाने, बैठक में व्यस्त रहने अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से तत्काल फोन रिसीव करना सम्भव न होने पर व्यस्तता समाप्त होते ही / समय मिलते ही जल्दी से जल्दी प्राप्त मिस काल के नम्बर पर कालबैक करके उत्तर दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- (5) तरंग योजना के अन्तर्गत मोबाइल सिम तथा / अथवा डाटा कार्ड की सुविधा सम्बन्धित अधिकारी को विभाग में तैनात / कार्यरत रहने की अवधि तक ही अनुमन्य होगी।
- (6) विभाग से बाहर स्थानान्तरण होने अथवा सेवानिवृत्ति होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उक्त मोबाइल सिम एवं / अथवा डाटा कार्ड अधिकृत प्राधिकारी को तत्काल वापस करना होगा, तथा पद का कार्यभार छोड़ते समय भरे जाने वाले कार्यभार प्रमाण-पत्र में भी इस आशय का उल्लेख किया जायेगा कि मोबाइल संख्या..... का सिम भी हस्तान्तरित किया जा रहा है। डाटा कार्ड विभाग में भी अन्यत्र स्थानान्तरित होने पर तत्काल अधिकृत प्राधिकारी को वापस करना होगा। ऐसा न किये जाने की दशा में पद का कार्यभार छोड़ने के पश्चात की अवधि के सम्बन्ध में विभाग द्वारा भुगतान की गयी धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी। अधिकारी के अन्यत्र स्थानान्तरित होने की दशा में डाटा कार्ड अधिकृत प्राधिकारी को वापस करेगा। सेवानिवृत्त अधिकारी के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) अधिकृत प्राधिकारी द्वारा तबतक निर्गत नहीं की जायेगी जबतक उस अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पद का मोबाइल सिम एवं / अथवा डाटा कार्ड अधिकृत प्राधिकारी के कार्यालय में जमा नहीं कर दिया जाये। सम्बन्धित अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उक्त सिम एवं / अथवा डाटा कार्ड एडीशनल कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जायेगा जिनके द्वारा आवश्यकतानुसार उस सिम एवं / अथवा डाटा कार्ड को पुनः आविटिंग किया जायेगा। तरंग योजना के लिये अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा अपने कार्यालयों से सम्बन्धित उक्त सिम धारक एवं / अथवा डाटा कार्ड अधिकारियों की सेवानिवृत्ति विषयक सूचना अपडेट रखी जायेगी।
- (7) जिन अधिकारियों को डाटा कार्ड की सुविधा अनुमन्य की जा रही है वह अपरिहार्यता एवं कार्य हित में डाटा कार्ड का प्रयोग कराके अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों से भी राजकीय कार्यों का सम्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

(8) जनमानस की सुविधा के लिये विभाग के जोनल कार्यालयों में ज्वाइन्ट कमिश्नर एवं उससे उच्च स्तर अधिकारियों एवं प्रवर्तन कार्य में तैनात समस्त अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं मोबाइल संख्या का विवरण फ्लैक्स बोर्ड पर अंकित कराया जायेगा। जोनल कार्यालयों से भिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में वहाँ तैनात वरिष्ठतम् अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर(प्रशासन) तथा प्रवर्तन कार्य में तैनात समस्त अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं मोबाइल संख्या का विवरण फ्लैक्स बोर्ड पर अंकित कराया जायेगा। फ्लैक्स बोर्ड का रंग लाल रहेंगा जिस पर सफेद रंग से नाम, पदनाम तथा मोबाइल संख्या अंकित की जायें।

(9) उक्त मोबाइल सिम धारक अधिकारी द्वारा सिम कार्ड के खोने से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने पर अथवा खराब सिम मूलरूप में अधिकृत प्राधिकारी को उपलब्ध कराने पर अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निःशुल्क हुप्लीकेट सिम सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराने के कार्यवाही BSNL के स्थानीय कार्यालय से समन्वय स्थापित कर की जायेगी। डाटा कार्ड डिवाइस खो जाने पर डिवाइस का निर्धारित मूल्य सम्बन्धित अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से विभाग में जमा करना होगा।

(10) उक्त मोबाइल सिम धारक एवं / अथवा डाटा कार्ड धारक किसी अधिकारी के आकस्मिक रूप से दिवंगत होने की दशा में आश्रितो द्वारा अधिकारी के निधन की तिथि से एक माह के भीतर उक्त मोबाइल सिम एवं / अथवा डाटा कार्ड विभाग को वापस करना होगा। इस अवधि के उपरान्त मोबाइल सिम / डाटा कार्ड वापस किये जाने की दशा में निधन की तिथि से एक माह बाद की अवधि के सम्बन्ध में विभाग द्वारा भुगतान की गयी धनराशि की वसूली की जा सकेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये तरंग योजना को प्रभावी किये जाने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

मेरा
23-1-2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 2- एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को योजना का क्रियान्वयन कराने हेतु।
- 3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर अनुभाग प्रभारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 4- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को उक्त योजना के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
- 5- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही तत्काल पूर्ण कराने हेतु।
- 7- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रथम) / असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (द्वितीय-डॉ कनौजिया) वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 8- महा प्रबन्धक (EB) भारत संचार निगम लि., भोपाल हाउस लालबाग, लखनऊ को उनके पत्र संख्या- UPE/EB/ Commercial Tax/Tarang/11-12 दिनांक 30-10-2013 के क्रम में प्रेषित।


(श्री शूषण सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (आईटी०) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

कार्यालय आदेश संख्या-आईटी०-मुख्यमंत्री सन्दर्भ-फार्म-३८/२१(तरंग योजना)-(२०१३-१४)/११०१/
दिनांक २३ जनवरी, २०१४ का अनुलग्नक

तालिका

A	Mobile SIM			
1.1	Fixed monthly charges		NIL	To be paid by CTD in lump sum
1.2	Free usage per month		400Min	
2.	Call charges			
2.1.1	Within LSA (Local Service Area)	BSNL TO BSNL UP (E) & UP (W)/NCR	NIL	
2.1.2	Within LSA	a.BSNL to BSNL outside UP (E) & up (W)/NCR b.BSNL to other network		
		Local	Rs. 0.01 per sec	
		STD	Rs. 0.12 per sec	
2.2	Roaming			
2.2.1	Fixed charges		NIL	
2.2.2	Incoming calls		NIL	
		a.BSNL to BSNL outside UP (E) & UP(W)/NCR b.BSNL to other network	Rs. 0.60/60sec	
2.2.3	outgoing calls	outside UP(E)(W)/ NCR	Rs. 0.60/60sec	
		To others network	Rs. 1.0/60sec	
3	SMS Charges			
3.1	P2P within LSA	BSNL TO BSNL UP(E) & UP(W)/ NCR	NIL	
	P2P within LSA	BSNL TO other UP(E) & UP(W)/ NCR	Rs. 0.40/SMS	
3.2	P2P Roaming	BSNL TO BSNL UP(E) & UP(W)/ NCR	NIL	
		a. BSNL TO BSNL UP(E) & UP(W)/ NCR b. BSNL to others network	Rs. 0.80/SMS	
3.3	Non P2P		Rs. 2.00/SMS	
3.4	International SMS		Rs. 5.00/SMS	
4	GPRS			
4.1	Fixed Charges		NIL	
4.2	Free Usage		1GB	
4.3	Charges beyond free usage		Rs. 0.05/10KB	
5	ISD Charges and International		Normal Charges	



	Roaming				
B.	Land Line				
1.1	Fixd Monthly Charges		NIL	To be paid by CTD in lump sum	
1.2	Free Usages per month		300MCU		
1.3	Call Charges	BSNL TO BSNL UP(E) & UP(W)/ NCR	NIL		
		a. BSNL TO BSNL UP(E) & UP(W)/ NCR b. BSNL to others network	Rs. 1.00/MCU		
C	Broadband on Plan home ULD 525				
1.1	Fixd Monthly Charges		NIL	To be paid by CTD in lump sum	
1.2	Free Usages per month		Home unlimited		
D	Data Card				
1.1	Fixd Monthly Charges		NIL	To be paid by CTD in lump sum	
1.2	Free Usages per month		5GB		
1.3	Beyond free usages		Rs. 0.05/10KB		

